न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 20/2025 ई.रे. दिनांक 23.09.2025

1— भेरा पिता वरदा मीणा निवासी जोधा तलाई बांसी, तहसील बडीसादडी

— प्रार्थी

बनाम

1— रूपाबाई पत्नि लालसिंह मीणा निवासी भियाणा तहसील बडीसादडी
2— राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित— श्री एम.के. गोस्वामी वकील प्रार्थी
श्री एस.एम. माजिद वकील विपक्षी

—:: आदेश ::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि—

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय मे पेश किया है किन्तु उसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की पुर्ण संभावना है जिसे कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर पेश है।
2. प्रार्थी की खाता संख्या नया 326 पुराना 308 की आराजी नम्बर 1446 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.0800 हैक्टेयर ग्रम बान्सी तहसील बडीसादडी में स्थित है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 रूपाबाई की खाता संख्या नया 389 पुराना 373 की आराजी नम्बर 1447 रकबा 1.6200 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.6200 हैक्टेयर ग्रम बान्सी तहसील बडीसादडी में स्थित है। उक्त आराजीयात को वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3. उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 1446 व 1447 मौके पर पास पास में ही है। यह कि प्रार्थी भेरा ने उक्त आराजी 1446 कई सालो पहले दिनांक 16/04/1972 को जरिये बिकाव नामा श्री भगवाना पिता जिवा रावत निवासी जोधातलाई बान्सीं से खरीदी थी। उक्त आराजी 1446 के उस वक्त के पुराने नम्बर 657/2 थे और वर्तमान में उक्त आराजी के नम्बर 1446 है। जब ये आराजी 53 साल पहले 5 बिघा खरीदी गयी तब मौके पर विक्रेता भगवाना कई सालो से उसी आराजी पर उसी जगह काबिज था और प्रार्थी काबिज है। यह कि प्रार्थी भेरा रावत ने उक्त कब्जेकाश्त आराजी पर उसी जगह अपना मकान, कुआ ट्युबवैल लगा रखी है तथा प्रार्थी ने अपने पिताजी वरदा के नाम का व अपने बेटे लालुराम के नाम का बिजली कनेक्शन भी करवा रखे है। यह कि उक्त आराजीयात पर बिकाव से ही प्रार्थी भेरा का कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।
4. उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर बिकाव से पहले भगवाना पिता जीवा रावत निवासी जोधातलाई का कब्जा था और बिकाव के बाद से [illegible] काश्त होकर चला आ रहा हैं। उक्त काश्तकारी काबिज जमीन पर प्रार्थी ने लाखो रूपये [illegible] कृषि उपयोगी बनाया था इसको जमीन समतलीकरण करवाकर इसमें कृषि [illegible] था। यह कि प्रार्थी जहा अभी काबिज है वहा पर घर बना हुआ है। कुआ खुदा हुआ [illegible] ट्युबवैल लगी हुई हैं। इसी कारण काबिज काश्त आराजी को वादी के नाम किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

5. विपक्षीया रूपाबाई व उसके दोनों लडके 1. नारायणलाल पिता लालसिंह मीणा 2. उंकार पिता लालसिंह मीणा दोनों निवासीयान भियाणा तथा 3. डालु पिता कालु जी रावत निवासी जोधातलाई बान्सीं प्रार्थी को वादग्रस्त काबिज आराजीयात से बेदखल करने के लिये आये दिन प्रार्थी तथा उसक परिवार वालो के साथ लडाई झगडा कर मारपीट करने पर आमादा होता है जिस कारण विपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है कि वह प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त काबिज आराजीयात से बेदखल ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त काबिज आराजीयात में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द ना करे ना करावे।

6. अप्रार्थी को यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पूर्ती अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त काबिज आराजीयात में से प्रार्थी को बेदखल ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त काबिज आराजीयात मे किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द ना करे ना करावे ।

वकील विपक्षी ने अपने जवाब मे निम्न तथ्य अंकित किये।

1. प्रार्थी द्वारा अदालत में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना मंजूर है लेकिन उक्त दावा आधारहीन होने से अवश्य ही खारीज होगा।
2. दरख्वास्त की कलम संख्या 2 में वर्णित विपक्षी रूपा बाई के खातेदारी वे कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या नया 389 पुराना 373 की आराजी नम्बर 1447 रकबा 1.6200 हैक्टेयर मोजा जोधातलाई बान्सी पटवार हल्का बान्सी तहसील बडीसादडी में स्थित होना मंजूर होकर बकाया तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. दावे की कलम नम्बर 3 गलत होकर नामंजूर है विपक्षी संख्या 1 रूपा बाई का अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 1447 पर अरसे कदीम से शांती पुर्वक कब्जा होकर वह अरसे कदीम से ही काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 रूपा बाई का कृषि आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं होते हुए भी विपक्षीया रूपा बाई के विधवा होने तथा गांव भियाणां में निवासरत होने से प्रार्थी विपक्षीया की कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । प्रार्थी का विपक्षीया की आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।
4. दरख्वास्त की कलम नम्बर 4 गलत होकर नामंजूर है प्रार्थी जबरन विपक्षीया की आराजीयात पर कब्जा करने का अमादा है और मात्र कब्जा करने के आशय से आये दिन विपक्षीया के कब्जे काश्तमें दखलंदाजी करता है और लडाई झगडा करता है इस कारण विपक्षीया रूपा बाई द्वारा प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों के विरूद्ध अदावत आप में स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबज पृथक से दावा भी पेश कर रखा है। प्रार्थी किसी प्रकार से विपक्षीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात को अपने नाम पर कराने का अधिकारी नहीं है।
5. दरख्वास्त कलम नम्बर 5 गलत होकर नामंजूर है विपक्षीया तथा उसके लडको व डालु ने कभी भी प्रार्थी से कोई लडाई झगडा नहीं किया इसके विपरीत प्रार्थी और उसके परिजन जबरन विपक्षीया को उसके कब्जे काश्त और खातेदारी की आराजीयात से बेदखल करना चाहते है जिस हेतु विपक्षीया द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में ही विपक्षीया के कब्जे काश्त और खातेदारी की कृषि आराजीयात मे दखलंदाजी करने से रोकने हेतु एक वाद अदालत आप में पेश किया है जो विचाराधीन है।
6. प्रार्थी विपक्षीया को किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होगी और सुविधा का संतुलन भी विपक्षीध के पक्ष में है क्योंकि उक्त आराजीयात विपक्षीया के कब्जे काश्त और खातेदारी की होकर विपक्षीया अरसे कदीम से अपने हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज है इस कारण भी प्रार्थी विपक्षीया को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:17 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

लिहाजा विपक्षीया संख्या 1 रूपा बाई की ओर से जवाब दरख्वास्त पेश कर ईल्तजा है कि प्रार्थी की दरख्वास्त सव्यय खारीज किये जाने का हुक्म सादिर फरमावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है।

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजी नं. 1446 रकबा 1.0800 तथा आराजी नं. 1447 रकबा 1.6200 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात में से प्रार्थी को बेदखल ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त काबिज आराजीयात मे किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे ना करावे तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द ना करे ना करावे ।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:17 IST
Reason: SelfAttested